



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

CBSE/AC&BW/ACCOUNTS/2016-17/Circular/ 241

03.07.2017
16 08

OFFICE ORDER

With reference to OM no AC&BW/Centralised Fund Policy/2017 dated 29.05.2017 on "Centralised Funds/Investment policy", it is informed that policy has been approved by the Finance Committee in the meeting held on 22.06.2017 and ratified by Governing Body in the meeting held on 29.06.2017.

2. Therefore, while remitting proposal for funds transfer, all the ROs/units/COEs are advised to ensure availability of the following information/documents,:
- Cash flow statement of at least next three months from the month of proposal.
 - Approved Budget for the relevant year.
 - Monthly Account up to immediately preceding month.
 - Details of FDR maturing in next three months.
 - Available balance in Bank Accounts as on date of proposal.

Bharti Zade

(Bharti Zade)
I.A.F.A.

Distribution:-

- EO to Chairman, CBSE for Information
- SPS to Secretary, CBSE for Information
- SPS to all HODs
- All the DDOs of the Board



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

केमाशिबो/एसी एवं बीडब्ल्यू/लेखा/2016-17/परिपत्र/ 241

03.07.2017
16 08

कार्यालय आदेश

"केंद्रीकृत निधि/ निवेश नीति", पर कार्यालय ज्ञापन संख्या एसी एवं बीडब्ल्यू/केंद्रीकृत निधि नीति/2017 दिनांक 29.05.2017 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि वित्त समिति द्वारा इसकी दिनांक 22.06.2017 को आयोजित बैठक में नीति अनुमोदित कर दी गई है तथा शासी निकाय द्वारा दिनांक 29.06.2017 को आयोजित बैठक में अनुसमर्थन कर दिया गया है।

2. अतः सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/ एककों/ उत्कृष्टता केंद्रों को निधि अंतरण के लिए प्रस्ताव देते समय निम्नलिखित सूचना/ दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है:

- क. प्रस्ताव के माह से कम से कम 03 माह का नकदी प्रवाह विवरण।
ख. संगत वर्ष के लिए अनुमोदित बजट।
ग. ठीक पिछले माह तक का मासिक लेखा।
घ. अगले तीन माह में परिपक्व होने वाली एफ.डी.आर. का ब्यौरा।
ड. प्रस्ताव की तिथि को बैंक खाते में उपलब्ध शेष।

भारती

(भारती झाड़े)

आंतरिक लेखा एवं वित्तीय सलाहकार

वितरण:

1. अध्यक्ष, केमाशिबो के कार्यकारी अधिकारी- सूचनार्थ
2. सचिव, केमाशिबो के वरिष्ठ निजी सचिव- सूचनार्थ
3. सभी विभागाध्यक्षों के वरिष्ठ निजी सचिव
4. बोर्ड के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी